झारखण्ड सरकार

जन्म-मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण

कब क्यों कहाँ

निदेशक-सह-अपर मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)
सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय,
योजना एवं विकास विभाग
झारखण्ड, राँची

संदेश

ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि जन्म–मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण की विहित प्रक्रिया के संबंध में बहुत कम लोगों को जानकारी है, साथ ही इसके प्रति आम लोगों में जागरूकता का भी अभाव है। परिणामस्वरूप जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण **''कब–क्यों–कहाँ''** को इस पुस्तिका में सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है, जो जन समान्य के लिए मार्गदर्शी एवं उपयोगी सिद्ध होगा।

ह./–

(जे. एस. बुर्जिया)

प्रधानसचिव–सह–मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)

योजना एवं विकास विभाग,

झारखण्ड, राँची

जन्म–निबंधन पर विशेष

- बच्चे के जीवन की शुरूआत के समय उसकी पहचान सुनिश्चित करना सबसे पहली और प्रमुख आवश्यकता है।
- जन्म का निबंधन पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें बच्चा अपने विवरणों के साथ पंजीकृत हो जाता है।
- यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन, 1989 में बच्चे और उसके अस्तित्व को पहचान देने की दिशा में जन्म निबंधन को पहले कदम के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। भारत भी इस कन्वेंशन का हस्ताक्षरी है, इसलिए हम सभी का यह कर्तव्य है कि बच्चों को उनका मूल अधिकार दिया जाय।
- राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के तहत देश भर में शत–प्रतिशत निबंधन का लक्ष्य सन् 2010 तक प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति, परिवार, समाज, देश हर स्तर पर महति प्रयास की आवश्यकता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में गैर सरकारी संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों की भी भूमिका अहम होगी।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं अविभाजित बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 पर आधारित जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली अविभाजित बिहार राज्य में अप्रैल, 1970 से लागू की गई, जिसे बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 के रूप में प्रतिस्थापित करते हुये जनवरी, 2000 से प्रभावी बनाया गया है। अधिनियम एवं नियमावली, 1999 में निहित प्रावधानों के अनुरूप इस राज्य में जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। राज्य में जन्म–मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए राज्य, जिला एवं इसके नीचे ग्राम पंचायत स्तर तक एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र कायम है, जो निम्न प्रकार है–

(क) राज्य

सचिव, योजना एवं विकास विभाग
–सह–
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), झारखण्ड

↓

निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन
–सह–
अपर मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), झारखण्ड

↓

संयुक्त निदेशक, जीवनांक–सह–संयुक्त मुख्य रजिस्ट्रार
(जन्म एंव मृत्यु), झारखण्ड

↓

उप निदेशक, जीवनांक–सह–उप–मुख्य रजिस्ट्रार
(जन्म एवं मृत्यु), झारखण्ड

(ख) जिला एवं उसके नीचे

उपायुक्त–सह–जिला रजिस्ट्रार,
(जन्म एवं मृत्यु)

↓

1. जिला सांख्यिकी पदा.	2. प्रखंड विकास पदा.	3. सिविल सर्जन
–सह–	–सह–	–सह–
अपर जिला रजिस्ट्रार	अपर जिला रजिस्ट्रार	अपर जिला रजिस्ट्रार
(जन्म एवं मृत्यु)	(जन्म एवं मृत्यु)	(जन्म एवं मृत्यु)
	संबंधित प्रखंड क्षेत्र।	

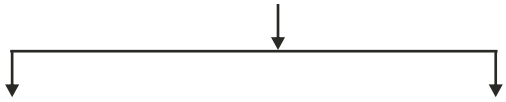

ग्राम पंचायत सेवक
–सह–
रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)
संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र

(I) चिकित्सा पदा.
–सह–रजिस्ट्रार
(जन्म एवं मृत्यु)
संबंधित नगर निगम,

(II) चिकित्सा पदा.
/कार्यपालक पदा.
/विशेष पदा./ अध्यक्ष
/उपाध्यक्ष –सह–
रजिस्ट्रार संबंधित
नगर पालिका/अधिसूचित
क्षेत्र समिति

(III) (क) उपाधीक्षक
–सह–रजिस्ट्रार
(जन्म एवं मृत्यु) संबंधित
चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल,
सदर अस्पताल,
अनुमंडलीय अस्पताल

(ख) प्रभारी चिकित्सा
पदाधिकारी–सह–रजिस्ट्रार
(जन्म एवं मृत्यु)
–संबंधित रेफरल अस्पताल

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत राज्य में होनेवाली प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु की घटना का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है। घर/परिवार में होनेवाली जन्म–मृत्यु एवं मृत–जन्म की घटना की सूचना संबंधित रजिस्ट्रार को देने का दायित्व घर के मुखिया/निकटतम संबंधी/उपस्थित सबसे बड़े व्यस्क पुरूष का है। इसी प्रकार अस्पतालों, मातृत्व केन्द्रों, नर्सिंग होम, जेल, हॉस्टल, धर्मशाला आदि में होनेवाली जन्म–मृत्यु की घटनाओं की सूचना संबंधित संस्था के प्रभारी द्वारा उनके क्षेत्र के रजिस्ट्रार को विहित प्रपत्र में भर कर दी जानी है।

जन्म–मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण
कब ? क्यों ?? कहाँ ???

(1) जन्म–मृत्यु का पंजीयन कब ?

1. परिवार में हुई प्रत्येक जन्म या मृत्यु की घटना का पंजीयन घटना के होने के 21 दिनों तक आप निःशुल्क करवा सकते हैं।

2. आपके परिवार में हुई प्रत्येक जन्म या मृत्यु की घटना का पंजीयन करवाना कानूनन आवश्यक है।

3. समय पर पंजीयन करवाने से भविष्य में होने वाली परेशानियों एवं झंझटों से आप बच सकते है।

(2) जन्म और मृत्यु का पंजीयन क्यों ?

जन्म प्रमाण–पत्र	मृत्यु प्रमाण–पत्र
1	2
1. जन्म की तारीख एवं स्थान का यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है।	1. मृत्यु की तारीख का यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है।
2. स्कूल में प्रवेश के समय जन्म की तारीख के प्रमाण स्वरूप यह प्रमाण–पत्र उपयोगी है।	2. पैतृक सम्पत्ति के दावे के निराकरण में उपयोगी है।
3. राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाने हेतु उपयोगी है।	3. कोर्ट कचहरी में मृत्यु के साक्ष्य के रूप में।
4. ड्राइविंग लाइसेंस बनाने हेतु उपयोगी है।	4. जीवन बीमा, बैंक खातों के लिए उपयोगी।
5. विदेश यात्राओं के पासपोर्ट के लिए आवश्यक है।	5. दुर्घटना आदि में मृत्यु होने पर मुआवजा की प्राप्ति में आवश्यक है।

1	2
6. मताधिकार प्राप्त करने के लिए।	6. मृत्यु के कारणों का पता लगाकर इसके उपचार हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए जरूरी।
7. वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए।	7. देश की वर्त्तमान जनसंख्या की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिये।
8. बालिका समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए।	8. चिकित्सा विज्ञान के विकास के लिए।
9. बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिकार्ड एवं टीकाकरण के लिए।	9. शिशु मृत्यु दर एवं मातृत्व मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिये।
10. देश की वर्तमान जनसंख्या की स्थिति ज्ञात करने के लिए।	10. जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के लिए।

(3) जन्म–मृत्यु का पंजीयन कहाँ करायें?

(क) शहरी क्षेत्र में पंजीयन संबंधित नगर निगम, नगर पलिका एवं अधिसूचित क्षेत्र समिति में कराया जा सकता है।

(ख) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल एवं रेफरल अस्पताल में घटित घटनाओं का पंजीयन संबंधित अस्पताल में ही होगा।

(ग) ग्रामीण क्षेत्र की घटनाओं का पंजीयन ग्राम पंचायत में होता है।

(घ) ग्राम पंचायत में कार्यरत चौकीदार के माध्यम से अथवा सीधे पंचायत सेवक को जन्म और मृत्यु की घटना की सूचना देकर पंजीयन कराया जा सकता है।

(ङ) स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता से सम्पर्क कर ग्रामीण क्षेत्र की घटनाओं का पंजीयन कराया जा सकता है।

(च) बस, ट्रेन, हवाई जहाज, यान इत्यादि में जन्म या मृत्यु की घटना होने पर उसका रजिस्ट्रीकरण प्रथम विराम स्थान के अन्तर्गत आने वाली रजिस्ट्रीकरण इकाई में कराया जाना है।

(छ) किसी भी जन्म या मृत्यु की घटना का पंजीयन उसी शहर या ग्रामीण रजिस्ट्रेशन केन्द्र पर होगा जिसके क्षेत्र में घटना हुई है।

(4) जन्म–मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण कैसे?

1. जन्म अथवा मृत्यु की घटना अपने नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति के रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) अथवा ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राम पंचायत सचिव–सह–रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) या चौकिदार को घटना की सूचना 21 दिनों के अंदर देकर प्रमाण–पत्र निःशुल्क प्राप्त करें।

2. जन्म या मृत्यु की घटना यदि चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल या रेफरल अस्पताल में घटित हुई हो, तो उसका रजिस्ट्रीकरण उसी संस्थान में करते हुए जन्म–मृत्यु प्रमाण–पत्र वहीं से प्राप्त करें।

3. जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिनों के पश्चात् किन्तु 30 दिनों के भीतर उसकी सूचना रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) को दी जाती है, तो उसका रजिस्ट्रेशन 2/– रूपये (दो रूपये) की विलम्ब फीस के भुगतान करने पर किया जायेगा।

4. जन्म या मृत्यु की सूचना रजिस्ट्रार को उसके होने के 30 दिनों के पश्चात् परन्तु एक वर्ष के भीतर दी जाती है तो उसका रजिस्ट्रीकरण ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी– सह–अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं शहरी क्षेत्र के लिए संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी –सह–अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् किया जाएगा। अनुमति

प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया जाना है। अनुमति प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार द्वारा 5/– रूपये (पाँच रूपये) विलम्ब शुल्क लेकर रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा।

5. यदि किसी जन्म या मृत्यु का उसके होने के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकरण नहीं होता है, तो उसका रजिस्ट्रीकरण संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी /प्राधिकृत कार्यपालक दंडाधिकारी के आदेश पर और 10/– रूपये (दस रूपये) की विलम्ब शुल्क के भुगतान पर किया जाएगा।

6. शिशु का नामकरण किये बिना भी रजिस्ट्रीकरण किये जाने की व्यवस्था है। इस तरह बिना नाम के रजिस्ट्रीकरण कराए जाने के पश्चात् 12 महीने तक बिना शुल्क के उक्त शिशु का नाम दर्ज कराने का प्रावधान है। (पुकारू नाम यथा–टिंकू, पिंकू आदि नहीं दर्ज करावें बल्कि शिशु का वास्तविक नाम दर्ज करावें, चूँकि इससे शिशु की पहचान होती है।)

7. शिशु के नाम का रजिस्ट्रीकरण कराने हेतु घटना के 1 वर्ष के बाद किन्तु 15 वर्षों के भीतर उसकी सूचना दिये जाने पर 5/– रूपये (पाँच रूपये) की विलम्ब शुल्क के भुगतान पर शिशु के नाम का पंजीयन किया जायेगा।

8. जन्म–मृत्यु रजिस्टर में की गई प्रविष्टि को शुद्ध या रद्द किये जाने का भी प्रावधान है।

(9) दिनांक 1 जनवरी 2000 से प्रभावी तत्कालीन बिहार जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 के अंतर्गत पंजीयन शुल्क एवं प्रमाण–पत्र शुल्क आदि की दरें–

क्र.	कार्य विवरण	निर्धारित शुल्क (रूपये)
1	2	3
1	घटना घटित होने के 21 दिन के अन्दर	निःशुल्क
2	घटना घटित होने के 21 दिन बाद परन्तु 30 दिन के अन्दर पंजीयन कराने हेतु। (नियम 9 (1))	2/–
3	घटना घटित होने के 30 दिन बाद परन्तु एक वर्ष के अन्दर पंजीयन कराने हेतु। (नियम 9 (2))	5/–

1	2	3
4	घटना घटित होने के एक वर्ष बाद पंजीयन कराने हेतु। (नियम 9 (3))	10/–
5.	बिना नाम रजिस्ट्रीकृत जन्म के प्रकरण में माता–पिता द्वारा रजिस्ट्रीकरण से 12 माह के अन्दर नाम पंजीयन कराने हेतु। (नियम 10 (1))	निःशुल्क
6.	12 माह के बाद परन्तु 15 वर्ष के अन्दर नाम पंजीयन कराने हेतु। (नियम 10 (1), 11 (क) एवं (ख))	5/–
7.	घटना के लिए निर्धारित समय सीमा 21 दिनों के अन्दर पंजीयन कराने पर सूचनादाता को जन्म या मृत्यु प्रमाण–पत्र की एक प्रति। (नियम 8)	निःशुल्क

1	2	3
8	धारा 17 (1) के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले उद्धरण या अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु भुगतेय शुल्क निम्नलिखित होगी :–	
	(क) प्रथम वर्ष में किसी एक प्रविष्टि की तलाश–	2/–
	(ख) प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिये तलाशी–	2/–
	(ग) प्रत्येक जन्म या मृत्यु से संबंधित उद्धरण के लिये (प्रत्येक प्रति)	5/–
	(घ) जन्म या मृत्यु का अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु–	2/–

कठिनाइयों का समाधान

जन्म–मृत्यु पंजीयन में कठिनाई होने की स्थिति में उपायुक्त–सह–जिला–रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) अथवा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी–सह–अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) से सम्पर्क करना उपयुक्त होगा। समस्या का समाधान नहीं होने पर निदेशक–सह–अपर मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, झारखण्ड, राँची से सम्पर्क किया जा सकता है।

विशेष अनुरोध

''जन्म–मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण कब क्यों कहाँ'' नामक यह पुस्तिका बहुमूल्य है। राज्य की जनता के बीच में रजिस्ट्रीकरण के प्रावधानों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की दिशा में यह एक सार्थक कदम है। आपसे अनुरोध होगा कि इसे पढ़ने के पश्चात् कम–से–कम दस परिवारों के बीच में इसकी जानकारी पहुँचाने की कृपा करें।

ह./–

(रतन कुमार)

निदेशक–सह अपर मुख्य रजिस्ट्रार

झारखण्ड, राँची

भविष्य की कठिनाइयों एवं झंझटों से
छुटकारा पाने के लिए समय पर
जन्म-मृत्यु की घटना का
रजिस्ट्रेशन करावें।

क्यों कहाँ कब क्यों

Printing supported by

unicef

प्रत्येक बच्चे के लिये
स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता, संरक्षण
मानवता का उत्थान